

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-20/07/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में प्राप्त Mother Sanction में से केन्द्रांश में ₹11,70,00,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र की राशि का तथा राज्यांश में ₹11,70,00,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹23,40,00,000/- (तेईस करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

राज्य सरकार के द्वारा विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-81 दिनांक-20.07.2025 से वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत बजट उपबंध के आलोक में केन्द्रांश में प्राप्त Mother Sanction में से ₹11,70,00,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र की राशि तथा राज्यांश में ₹11,70,00,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र की राशि अर्थात् कुल ₹23,40,00,000/- (तेईस करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2-उक्त स्वीकृति के आलोक में केन्द्रांश एवं राज्यांश की क्रमशः ₹11,70,00,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रु०) एवं ₹11,70,00,000/- (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रु०) अर्थात् कुल ₹23,40,00,000/- (तेईस करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र की राशि SNA SPARSH के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप व्यय करने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार जिलों को आवंटित की जाती है।

3- उक्त राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघुशीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0221-नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989-विषय शीर्ष-0221.33.02-मुआवजा विपत्र कोड सं०-44-2225012770221" पी०एफ०एम०एस० कोड 9488 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5295 दिनांक-09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M.दिनांक-13.07.2025 तथा समय-समय पर SNA-SPARSH हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

5-इस योजना का निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्यय पदाधिकारी/Implementing Agencies (IAs) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के आलाक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

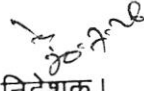
7- व्यय पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक-31.03.2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

8-इसी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

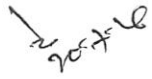
विश्वासभाजन

निदेशक।

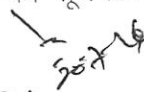
ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 82 पटना,दिनांक-20/07/2026
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास
विभाग, बिहार/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा,
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-8डी0/सांख्यिकी
शाखा/आई0 टी0 मैनेजर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 82 पटना,दिनांक-20/07/2026
प्रतिलिपि-सभी जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-3/निदे0-पी0ओ0ए0(स्वी0 एवं आवं)-05-04/2026 82 पटना,दिनांक-20/07/2026
प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक।

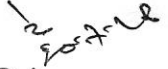
तीतीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के तहत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु जिलों को SNA-SPARSH के माध्यम से व्यय करने हेतु आवंटित राशि की विवरणी:-

(राशि रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	केन्द्रांश में प्राप्त Mother Sanction की राशि	राज्यांश की राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	ARARIA	1250000	1250000	2500000
2	ARWAL	500000	500000	1000000
3	AURANGABAD	2500000	2500000	5000000
4	BANKA	1500000	1500000	3000000
5	BEGUSARAI	2500000	2500000	5000000
6	BHAGALPUR	1250000	1250000	2500000
7	BHOJPUR	4500000	4500000	9000000
8	BUXAR	1000000	1000000	2000000
9	DARBHANGA	5250000	5250000	10500000
10	GAYA	6500000	6500000	13000000
11	GOPALGANJ	5000000	5000000	10000000
12	JAMUI	3250000	3250000	6500000
13	JEHANABAD	500000	500000	1000000
14	KAIMUR	5000000	5000000	10000000
15	KATIHAR	1250000	1250000	2500000
16	KHAGARIA	1500000	1500000	3000000
17	KISHANGANJ	1500000	1500000	3000000
18	LAKHISARAI	1250000	1250000	2500000
19	MADHEPURA	2500000	2500000	5000000
20	MADHUBANI	3750000	3750000	7500000
21	MUNGER	2000000	2000000	4000000
22	MUZAFFARPUR	2750000	2750000	5500000
23	NALANDA	7250000	7250000	14500000
24	NAWADA	2750000	2750000	5500000
25	PASHCHIM CHAMPARAN	4000000	4000000	8000000
26	PATNA	8500000	8500000	17000000
27	PURBI CHAMPARAN	4500000	4500000	9000000
28	PURNIA	3500000	3500000	7000000
29	ROHTAS	3250000	3250000	6500000
30	SAHARSA	3250000	3250000	6500000
31	SAMASTIPUR	6000000	6000000	12000000
32	SARAN	5500000	5500000	11000000
33	SHEIKHPURA	1500000	1500000	3000000
34	SHEOHAR	500000	500000	1000000
35	SITAMARHI	1250000	1250000	2500000
36	SIWAN	3750000	3750000	7500000
37	SUPAUL	1500000	1500000	3000000
38	VAISHALI	3000000	3000000	6000000
कुल		117000000	117000000	234000000

प्रांक-3/निदे०-पी०ओ०ए०(स्वी० एवं आव०) 05-04/2026- 82

पटना, दिनांक- 20/07/2026


निदेशक